हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 3
24 July 2025

कोल परिवहन के दौरान उड़ रही डस्ट का मामला

कोल डस्ट पर भड़के सीजे, एसईसीएल से कहा यह तो वही बात हो गई कि हम शराब बेचते हैं, बाकी पीने वाला जाने

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिलासपुर

एसईसीएल द्वारा बेचे गए कोयले के परिवहन के दौरान उड़ रही डस्ट और जनता को हो रही परेशानी के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एसईसीएल की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। नाराज चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि एसईसीएल का रवैया इस प्रकार है कि हम कोयला बेचते हैं,बाकी परिवहन करने वाला जानें। यह तो वही बात हुई कि शराब बेचने वाला कहे हम तो शराब बेचते हैं, बाकी पीने वाला जाने। चीफ जस्टिस ने पूरे

मामले में जरूरी बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी करने के अलावा नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और ⏭शेष पेज 7 पर

जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते

एसईसीएल का जवाब कुछ इस तरह का था कि हम कोयला खदान से कोल प्रोडक्शन करते हैं पर इसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे द्वारा नहीं किया जाता, इसे खरीदने वाले ट्रांसपोर्ट करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि परिवहन का काम ट्रांसपोर्टर को दे दिया है यह कहकर एसईसीएल अपनी जिम्मेदारियां से बच नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि एनटीपीसी, एसईसीएल बाकी जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं वे देश के विकास के लिए जो काम कर सकती हैं, वह करें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप दूसरों को इसके लिए ⏭शेष पेज 7 पर

दिए गए कड़े निर्देश

एसईसीएल के अधिवक्ताओं ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि माइनिंग एरिया में इस बात का बराबर ध्यान रखा जा रहा है कि नियमों का पालन हो, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ध्यान दिया जा रहा है, माइनिंग एरिया में मर्डर हो गया, कल आप ही तो आए थे उसको अप्रोच करने के लिए। ट्रांसपोर्टरों की आपसी लड़ाई में कि कौन पहले कोयला निकालेगा,कौन ट्रक ले जाएगा। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है,सीधा मर्डर है ये, और आप कह रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ कोयला निकालना है। ऐसा न करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ इसी काम के लिए नहीं है। आपके पास बड़े बड़े सलाहकार हैं।